

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि०न० 241/2025

रेणु पत्नी संदीप गोदारा जाति जाट निवासी 2 डीपीएम बशीर तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़ ।

वादीया

बनाम

1. मीरादेवी पत्नी रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी हाणी चक 2 डीपीएम बशीर तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. अन्जू बाला पुत्री मीरा देवी जाति जाट निवासीयान चक 2 डीपीएम बशीर
3. शुरभि पुत्री मीरा देवी तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ ।
4. संदीप गोदारा पुत्र मीरां देवी

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 19/8/25

\* आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 2 डीपीएम के प०न० 188/241 मु० 53 किलानं० 4/1/228, 4/2/025 रास्ता, 5/4/.077, 6/7/.084, 7/.253, 14/.253, 15/4/084 हे० आराजी की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 2 डीपीएम के खाता सं० 141/132 में से प्रतिवादीयां सं० 1 मीरां देवी का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।